न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्ड़ल ग्वालियर केम्प उज्जैन म0 प्र0

नि क. /2014

R 759-I 14

श्रीमति अमृता बाई पुत्री श्री रामसिह
पत्नि श्री करण सिंह आयु 45 वर्ष
जाति सेंधव निवासी ग्राम गुराडिया सुरदास
तहसील टोकखुर्द जिला देवास म0 प्र0 .... निगरानीकर्ता

— विरूद्ध —

1. जयसिह आ0 श्री कोक सिह आयु 36 वर्ष
2. बनेसिह आ0 श्री कोकसिंह आयु 27 वर्ष
3. अर्कसिंह आ0 श्री कोकसिह आयु 20 वर्ष
   सभी जाति सेंधव निवासी ग्राम ढाबला खालसा
   तहसील सोनकच्छ जिला देवास म0 प्र0
4. गीता बाई पुत्री श्री कोक सिह आयु 40 वर्ष
5. माया बाई पुत्री श्री कोक सिह आयु 34 वर्ष
6. ममता बाई पुत्री श्री कोक सिह आयु 30 वर्ष.
   सभी जाति सेंधव निवासी ग्राम ढाबला खालसा
   तहसील सोनकच्छ जिला देवास म0 प्र0
7. रामकुवर बाई बेवा स्व0 श्री मोतीसिह आयु 60 वर्ष
8. भांगीलाल आ0 स्व0 श्री मोतीसिंह आयु 40 वर्ष
   सभी जाति सेंधव निवासी ग्राम गुराडिया सुरदास
   तहसील टोंकखुर्द जिला देवास म0 प्र0 ....रेस्पोडेंट्स

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू.रा. संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.01.2014 एंव उससे पूर्व अपनाई गई प्रक्रिया प्रकरण क्रमांक 48अ6/2011—12 जयसिंह आदि विरूद्ध अमृता बाई में पारित द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय टोकखुर्द तहसील टोकखुर्द जिला देवास

महोदय,

निगरानीकर्ता माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अपनाई प्रकिया से असतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नानंकित तथ्यों एव विधिक आधारों पर प्रस्तुत

XXIX(a)BR(H)-11

(37)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक — निग. 759—एक / 14 जिला — देवास

स्थान तथा दिनाक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2—4—14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । यह निगरानी तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 20—1—14 के विरूद्ध पेश की गई है । तहसीलदार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण लंबे समय पूर्व दायर होना बताया था किंतु समय देने के बाद भी उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का कोई प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया इस कारण उन्होंने प्रकरण धारा 32 के जबाव हेतु नियत किया है । आलोच्य आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदेश में कोई हित किसी पक्ष का प्रमाणित नहीं है । इस न्यायालय के समक्ष भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रथमदृष्टया प्रतीत नहीं होता है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	